

गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन स्कीम के नाम पर हजारों लोगों से 400 करोड़ की ठगी

राजस्थान-हरियाणा के 20 हजार लोगों से ठगी कर आरोपी फरार हुये

टोंक, (निस)। गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन स्कीम लालक ठगी ने राजस्थान-हरियाणा के 20 हजार लोगों से 400 करोड़ की ठगी कर ली। अब ऑफिस पर ताला लगा पड़ा है और इन्वेस्ट करने वाले न्याय के लिए भटक रहे हैं।

- ठगी के आरोपियों की जयपुर में होने की सूचना पर पुलिस ने दबिशा दी, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगे
- टोंक में सवाई माधोपुर पुलिसिया इलाके में ठगों ने ऑफिस खोल रखा था, इन्वेस्टर जब दफ्तर पहुंचे तो यहां ताला लगा मिला

शाहिन ठगों ने एजुकेशन स्कीम के जरिए पहले जाल फैलाया। गरीब बच्चों के लिए होम ट्यूशन टीचर के लिए आवेदन मांगे। अलाइड करने वाले को प्रति बच्चे 1000 रुपए देने का लालच दिया। ब्लॉक वाइज ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ने के लिए टीम लीडर और फोल्ड मैनेजर भी बनाए। टारगेट पर कमीशन और गिफ्ट का लालच दिया गया। फायदे की आस में लोग जुड़ते चले गए। एजुकेशन सेक्टर में मदद के नाम पर इन्हीं लोगों से

इन्वेस्ट कराया गया। 1 लाख के इन्वेस्ट पर 20 हजार रुपए हर महीने का झंझा देकर रुपए जुटाए और स्कीम चलाने वाले फरार हो गए। प्रारण जानकारी के अनुसार टोंक में सवाई माधोपुर पुलिसिया इलाके में ठगों ने ऑफिस खोल रखा था। 6 जून को इन्वेस्टर जब दफ्तर पहुंचे तो यहां ताला लगा था। फोन किया तो सभी संचालकों के नंबर बंद मिले, तब ठगी का एहसास हुआ। प्रकरण की

जानकारी मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि 20 से ज्यादा लोगों ने मामले दर्ज कराये हैं। लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही हैं, गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों गठित की गई हैं। टीम ने ठगी करने वाले आरोपियों की जयपुर में होने की सूचना पर दबिशा बाजार में स्थित एक पटाखा दुकान पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। यहां देर रात तक चली कार्रवाई में पुलिस ने छोटें-बड़े कुल मिलाकर करीब 625 किलो पटाखे जब्त किए।

का रहने वाला है, अन्य दो आरोपी शिवेंद्र सिंह राजपूत और शिवेश शर्मा का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस की जानकारी के अनुसार ठग शुरुआत में कुछ निवेशकों और ट्यूटर्स को समय पर भुगतान कर उनका विश्वास जीता गया, जिससे वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को भी संस्था से जोड़ने लगे। धीरे-धीरे यह नेटवर्क राजस्थान और हरियाणा के हजारों लोगों तक फैल गया और करोड़ों रुपए जमा हो गए। आरोपी है कि मोटी रकम जुटाने के बाद संचालकों ने टोंक स्थित कार्यालय बंद कर दिया और फरार हो गए। सोसायटी का नेटवर्क टोंक से निकलकर सवाई माधोपुर, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और हरियाणा तक फैल गया। पीड़ितों के अनुसार राजस्थान और हरियाणा के करीब 15 से 20 हजार लोगों से लगभग 400 करोड़ रुपए जमा कराए गए, जिनमें जिले के करीब 8 हजार लोग शामिल हैं। अधिकांश लेनदेन नकद में किया गया। बाद में संचालक कार्यालय बंद कर फरार हो गए। इसके बाद बड़ी संख्या में पीड़ित सामने आए, जिनमें कई लोगों के 50 लाख से 80 लाख रुपए तक फंसे हुए हैं। पीड़ितों का कहना है कि उनकी जीवनभर की जमा-पूंजी डूब गई है, जिससे वे आर्थिक दूबंद और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इधर पुलिस मीना कैलेंडर टीना डाबी, एस्प्री रोशन मीना और कोतवाली भंवरलाल वैष्णव से मिलकर रकम वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं।

गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी

जोधपुर, (कास)। शहर के बनाई स्थित रामदेव नगर, नांदड़ी के रहने वाले एक युवक को आईआईटी में गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर 36 हजार रुपए ले लिए, मगर उसे ना तो नौकरी मिली और ना ही आरोपी ने रुपए वापिस लौटाए। पीड़ित ने अब बनाइ थाने में कोर्ट से इस्तगसे पर केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुटी है।

बनाइ पुलिस ने बताया कि रामदेव नगर, नांदड़ी निवासी दिनेश मेघवाल ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 अक्टूबर 23 को उसकी मुलाकात शैतान सिंह नाम के शख्स से हुई थी। उसने आईआईटी में अपनी जान-पहचान बताकर गार्ड की नौकरी लगवाने की बात की थी। बदले में उससे 36 हजार रुपए लिए गए। मगर काफी समय गुजरने पर नौकरी नहीं लगी। वह हर बार टालमटोल जवाब देता रहा। उससे जब आखिर में रुपए वापिस मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। बनाइ पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है, अग्रिम पड़ताल जारी है।

OFFICE OF BDO, PANCHAYAT SAMITI KARAUALI, DISTT. KARAUALI
 Dispatch No:-PSK/Acc./2026-27/409 Date: 05.06.2026
E-Notice Inviting Bid No. 01/2026-27
 Bid for annual rate contract for drilling of hand pump/tube well bore & installation and supply of other material in various gram panchayat area of panchayat samiti karauali district karauali are invited from interested appropriate/capable registered bidder upto 24/06/2026 time 6:00 pm other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.raajasthan.gov.in. http://sppp.raj.nic.in) of the website. The approximate value of the procurement is rs. 150,00,000
 NIB CODE:-ZKR2627A0074
 UBN NO:-ZKR2627WSRC00172
 (RAMNWS MEENA) BDO PS KARAUALI

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, बीकानेर
 क्रमांक-उअ/वि. खण्ड/बी./निविदा/2026-27/378 दिनांक-09.06.2026
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 16/ वर्ष 2026-27 (NIB Code No PWD2627A1003)
 निम्न हस्ताक्षर कार्यालय राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युतीकरण कार्य के लिए मोहलख निविदा सा. नि. वि. राज में सहाय श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्ति की प्रति अधोस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आवेदन / डाउनलोड करने की दिनांक 09.06.2026 से 15.06.2026 तक कार्य 6.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। तकनीकी निविदा दिनांक 16.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। प्री-बिड मीटिंग की दिनांक 11.06.2026 दोपहर 01.00 बजे है। निविदा की अन्य शर्तों एवं स्वीकृत तकनीकी आदि का विवरण किसी भी कार्य दिनांक के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। अन्य शर्तों व विवरण इस कार्यालय में व डिजीएन की वेबसाइट 02 कुल लागत 197.70 लाख
UBN NO. 1.PWD2627WSOB04325 2.PWD2627WSOB04325
 (नवीन कुमार रावत) अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. विद्युत खण्ड, बीकानेर
 DIPRC/10162/2026

राजस्थान सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
 क्रमांक-F.32 (B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/151 दिनांक-यथाहस्ताक्षर

मंदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना:-

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4 (1) वि/आव/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मरु-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार मंदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सहायक राजस्थान सरकार के चोट्टेड https://sso.raajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-वेबसाइट की जाती है:-

क्र.सं.	नीलामी की तिथि	नीलामी का समय
1	16.06.2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

- ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iem.s.rajasthan.gov.in> से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करने हेतु विभागीय ई-ऑनलाइन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारिक पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकता है। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सहायक राजस्थान सरकार के चोट्टेड <https://sso.raajasthan.gov.in> पर "Citizen" केटेगरी के अंतर्गत SSO ID बनाना होगा।
- नीलामी एक कार्य दिवस से न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् उक्त तक बोली लगती रहे तक 10 मिनट के अन्तर्गत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
- बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के शुल्क में बद्धकर बोली लगानी होगी।
- बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्रॉस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बद्धकर बोली नहीं लगा सकता।
- कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्रॉस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://iem.s.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।
- ऑनलाइन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि स्वयंसेवक नीलामी की शर्तों से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iem.s.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर बोलीदाता के ऑनलाइन भुगतान द्वारा इस वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बचाव करेगा। ऑनलाइन भुगतान नहीं होने या अमानत तलनीकी कारणों से निर्धारित राशिगत जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाये के लिये आवेदक स्वयं जिम्दार होंगा।
- प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्रॉस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करानी होगी। विद्युत राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करनी होगी।
- सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाइसेंस फीस ई-नीलामी के संवंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करनी होगी।
- निर्धारित समय में वांछित राशिओं यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाइसेंस फीस जमा न करने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि उपरतल की जायेगी।
- वर्ष 2026-27 के पात्र अनुसूचधरियों को वर्ष क्रमशः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुसूचधर नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
- बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाइट <https://iem.s.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध आबकारी एवं मरुसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का साक्षात्परीक्षक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
- मंदिरा कलस्टर के अन्वेषण हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मरुसंयम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविधान अधिनियम के तहत अनुसूचधर करने की योग्यता रखते हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश <https://iem.s.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु स्वयंसेवक अतिरिक्त आयुक्त जयपुर, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
- ई-नीलामी के संवंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मरुसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगी।

अलवर के खैरथल में 625 किलो अवैध पटाखे जब्त



खैरथल में पुलिस ने मुख्य बाजार में छापामार कर गोदाम से पटाखे जब्त किये।

अलवर, (निस)। खैरथल में पुलिस ने मुख्य बाजार में छापेमारी कर करीब 625 किलो अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया है। इस कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में हड़कें मच गयी हैं। खैरथल-तिजारा जिला बनने के बाद से ही अवैध गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। खैरथल-तिजारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह के निर्देशन और खैरथल थाना अधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम का गठन

किया गया। पुलिस को मुखबि से सूचना मिली थी कि शहर के बीचों-बीच भारी मात्रा में बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर पटाखों का स्टॉक किया गया है। सूचना पुख्ता होते ही पुलिस टीम ने खैरथल के मुख्य बाजार में दबिशा दी। पुलिस की टीम ने गुरुवार शाम को सबसे पहले मुख्य मार्केट के तिरंगा बाजार में स्थित एक पटाखा दुकान पर छापामारा। यहां पटाखा व्यापारी इंद्र कुमार पुत्र लेखराज की दुकान से अवैध

रूप से रखे गए पटाखे बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए मुख्य बाजार के ही सरर बाजार संचालक नवीन कुमार पुत्र लेखराज के टिकाकों पर छापेमारी की। पुलिस टीम जब नवीन कुमार के आनंद नगर कॉलोनी स्थित दुकान के गोदाम पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। यहां देर रात तक चली कार्रवाई में पुलिस ने छोटें-बड़े कुल मिलाकर करीब 625 किलो पटाखे जब्त किए।

बीकानेर में देर रात पिकअप चालक ने कई वाहनों को रौंदा

बीकानेर, (निस)। रामपुरा बस्ती में देर रात उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब एक पिकअप चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन दौड़ाते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार घटना के पीछे दो परिवारों के बीच चल रहा पुराना

घटना का वीडियो वायरल, चालक को डिटेल किया विवाद बताया जा रहा है। विवाद के चलते पिकअप चालक ने गुस्से में आकर इलाके में खड़े कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में भय का माहौल

बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप की टक्कर से कई दोपहिया और अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। बीडियों में भी पिकअप वाहन को तेज गति से इलाके में उत्पाल मचाते हुए देखा जा सकता है। एस्प्री ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद पिकअप चालक को डिटेल कर लिया गया है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
 सा. नि. वि. खण्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द राजस्थान
 क्रमांक-520-27 निविदा सूचना संख्या-04/2026-27 दिनांक-05.06.2026
 NIB: PWD2627A0968
 पुलिस मरम्मत व कंस्ट्रक्सी कार्य हेतु इच्छुक संवेदकों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विवरण उपान वेबसाइट (<http://www.eproc.raajasthan.gov.in> और <http://www.sppp.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। उपान की कुल अनुमानित राशि 189.71 लाख रुपया है।
 UBN NO. 1.(PWD2627WSOB41894), 2.(PWD2627WSOB4200), 3.(PWD2627WSOB4201) (भातु प्रकाश माधु) अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड नाथद्वारा
 DIPRC/10228/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड करौली मुख्यालय टोडाभीम
 email eecsnpkaroli@gmail.com दिनांक: 8/6/26
शुद्धि पत्र
 इस खण्ड कार्यालय के पत्रांक 736-44 दिनांक 01.06.2026 के द्वारा आमंत्रित निविदा की अन्तिम दिनांक 08.06.2026 सांय 06:00 बजे तक ही निविदा के अन्तिम रूप से अन्तिम दिनांक 12.06.2026 सांय 06:00 बजे एवं खोलने की दिनांक 15.06.2026 की जाती है।
 (रवि कुमार मीना) अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड करौली मुख्यालय टोडाभीम
 DIPRC/10262/2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जालोर
 क्रमांक: उअ/सं/जा/2026-27/479-495 दिनांक: 05.06.2026
निविदा सूचना संख्या: 02 वर्ष 2026-27 NIB No. PWD2627A0933
 श्रीमान सयुक्त सचिव एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से बजट घोषणा संख्या 7.01 एवं 266.0/2026-27 के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु अनुसूचधर श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिष्ठा संशोधनों / केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग / केन्द्रीय संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित पत्र में कुल 02 कार्य निम्नकी लागत राशि रु. 229.10 लाख है, अतः उक्त कार्य के लिए इंटेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
 ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं खोलने के की तारीख 15 जून 2026 प्रातः 10.00 बजे से 02 जुलाई 2026, सांय 6:00 बजे तक।
 निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट <http://dipr.raajasthan.gov.in> व <http://sppp.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
NIB NO. PWD2627A0933
 क्र. सं. यूपीएन सं. 1 UBN:PWD2627WSOB04058 2 UBN:PWD2627WSOB04060
 (आर. के. सिधारिया) अधीक्षण अभियन्ता सा. नि. वि. वृत्त, जालोर
 DIPRC/10206/2026

16 किलो डोडा-पोस्त जब्त

बीकानेर, (निस)। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। हर्दा थाना क्षेत्र में ऑपरेशन नीलकण्ठ के तहत एक ढाणी से 16 किलो डोडा-पोस्त जब्त कर एनडीपीएस अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया और आरोपी जगमालाराम से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। आईसी ओमप्रकाश के निर्देशन में एस्प्री नववारीलाल और सीओ संग्राम सिंह ने यह कार्रवाई की। एस्प्रीओ ईमीचंद और उनकी टीम भी शामिल थी। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन उमंग-7 के तहत रानी बाजार के पास एक रिपेरिंग सेंटर से बाल श्रमिक को मुक्त कर बाल कल्याण समिति को सौंपा गया और दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ।

नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत

अनूपगढ़, (निस)। बांडा गांव के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। अचानक चलती बाइक के आगे नीलगाय आ जाने से यह हादसा हुआ, जिसमें घायल व्यक्ति ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, पदमपुर तहसील के चक 39 एलएनपी निवासी पाल सिंह (55) पुत्र ठाकर सिंह छह जून को सुबह करीब तीन बजे अपनी बाइक पर सवार होकर रवाना हुए थे। सुबह करीब 5:30 बजे बांडा से थोड़ा पीछे नर्सरी के पास अचानक उनकी

बाइक के सामने एक नीलगाय आ गई। तेज रफ्तार में होने के कारण बाइक सीधे नीलगाय से जा टकराई, जिससे पालसिंह सड़क पर दूर जा गिरे। राहगीरों और सूचना मिलने पर पहुंची 112 एम्बुलेंस की मदद से घायल को तुरंत राजकीय अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। श्रीगंगानगर में भी स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें तुरंत बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पिछले चार दिनों से इलाज करा रहे पालसिंह ने आज अंतिम सांस ली।

डींग में खेत की जमीन के विवाद में दो पक्षों में फायरिंग, आधा दर्जन लोग घायल

घटना के बाद कामां थाना क्षेत्र के मुरार गांव में तनाव का माहौल, पुलिस तैनात

भरतपुर, (निस)। डींग जिले के कामां थाना क्षेत्र के मुरार गांव में खेत की जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग और मारपीट की घटना में आधा दर्जन से अधिक महिला-पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल रेफर किया



अस्पताल में भर्ती घायलों का चिकित्सकों ने उपचार किया।

- घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया
- सूचना पर कामां थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को नियंत्रित किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया

शुरूवार को दाताराम पक्ष के लोग खेत पर कार्य कर रहे थे और ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान दूसरा पक्ष मौके पर पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। घायल चेताराम ने बताया कि विवादित जमीन हमारी है, लेकिन दूसरा पक्ष उस पर जबरन कब्जा कर खेती कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे अपने खेत में ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के 8 से 10 लोग वहां

पहुंचे और उन पर गोलियों चलानी शुरू कर दीं। चेताराम के अनुसार गोली चलने की आवाज सुनकर जब परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी फायरिंग कर दी। कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र गोलियों की आवाज से गूंज उठा और गांव में अफरा-तफरी मच गई। फायरिंग में आरोपी 200 मीटर दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले कामां के सरकारी अस्पताल ले जाया

गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला आरबीएम अस्पताल, भरतपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कामां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस से घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए गए। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कोई बयान नहीं दिया है। पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-द्वितीय, जयपुर
 क्रमांक-637 दिनांक-08.06.2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 02/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्य:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	संवेदक की श्रेणी	बजट मद्	डिपेंडेंट लाइकेटी अवधि	UBN NO.
1	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-I SMS Hospital (Repair and Renovation Civil work)	"C"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 43039
2	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-II SMS Hospital Trauma center (Joinery work)	"F-3"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04310
3	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-I SMS Hospital (Sanitary work)	"S-1"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04311
4	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-I SMS (Painting work)	"P-1"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04312
5	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-II SMS Hospital Trauma center (Sanitary work)	"S-2"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04313
6	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-II SMS Hospital (Civil work)	"C"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04314
7	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-II SMS Hospital Trauma center (Painting work)	"P-3"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04315
8	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-I SMS Hospital (Civil work)	"C"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04316
9	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-I SMS Hospital (Repair and Renovation Joinery work)	"F-1"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04317
10	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-II SMS Hospital Trauma center (Civil work)	"D"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04318
11	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-II SMS Hospital (Printing work)	"F-1"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04319
12	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-II SMS Hospital (Joinery work)	"F-1"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04320
13	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-I SMS Hospital (Joinery work)	"F-1"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04321
14	Day to Day Urgent Repair and Maintenance work at SMS Hospital Jaipur 2026 Sub Dn-II SMS Hospital (Sanitary work)	"S-1"	8443/Dep.	11/2026-27	अनुसूचधर PWD2627WSOB 04322

हेतु सम्बंधित विवरण वेब साईट <http://dipr.raajasthan.gov.in> व <http://sppp.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
NIB NO. PWD2627A0933
 क्र. सं. यूपीएन सं. 1 UBN:PWD2627WSOB04058 2 UBN:PWD2627WSOB04060
 (आर. के. सिधारिया) अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. नगर खण्ड-2 जयपुर
 DIPRC/10269/2026